



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 314) पटना, बुधवार, 20 मई 2020

श्रम संसाधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना
15 मई 2020

एस० ओ० 128, दिनांक 20 मई 2020—बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि को या उससे पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, राज्य सरकार, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1947 में,—

(क) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) औद्योगिक संस्थान का कोई नियोजक, बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख को अपने औद्योगिक स्थापन में विद्यमान स्थायी कर्मकारों के पदों को उसके पश्चात् अवधि नियोजन के रूप में संपरिवर्तित नहीं करेगा।”;

(ख) (i) अनुसूची 'क' में, :—

(क) अनुसूची 'क' के पैरा (2) के उप-पैरा (क) में, मद (6) के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(6क) नियत अवधि नियोजन “

(ख) अनुसूची 'क' में, :-

(i) पैरा 2(छ) के पश्चात् निम्नांकित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

(ज) कोई "नियत अवधि नियोजन कर्मकार" ऐसा कर्मकार है, जो नियत अवधि के लिए नियोजन की लिखित संविदा के आधार पर लगा हुआ है:

परंतु,-

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे; और

(ख) वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ाई जाती है।";

3. पैरा 13 में, उपपैरा (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(13) सेवा से बर्खास्तगी:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 कर 14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-

(I) अस्थायी कर्मकार, चाहे मासिक दर से साप्ताहिक दर से या उजरती दर से और परिवीक्षाधीन या बदली कर्मकार हो, की दशा में, नियोजन समाप्ति का नोटिस आवश्यक नहीं होगा; और

(II) नियत अवधि नियोजन के आधार पर नियोजित कोई कर्मकार ठेका या नियोजन के नवीकरण न होने या उनकी समाप्ति पर, यदि उसकी समाप्ति कर दी जाती है, किसी नोटिस या उसके बदले वेतन का हकदार नहीं होगा:

परंतु अस्थायी कर्मकार की सेवाएं दंड के रूप में पर्यवासित नहीं होगी, जब तक पैरा 14 के विहित मामले में उसके विरुद्ध अभिकथित कदाचार के आरोपों के विरुद्ध स्पष्टीकरण का अवसर न दिया गया हो।";

संचिका संख्या-1/एस0ओ0-1246/2018-1257/श्र0सं0,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०(अस्पष्ट),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,

Labour Resource Department

Draft Notification

The 15th May 2020

S. O. 128, dated 20th May 2020- Whereas certain draft rules further to amend the Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 were published, as required by sub-section (1) of Section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), *vide* notification of the Labour Resources Department, Govt. of Bihar number in the official Gazette for inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publications of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the

And whereas the objections or suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 (20 of 1946), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947, namely:-

1. (1) These rules may be called Bihar Industrial Employment (Standing Orders) (Amendment) Rules, 2020,
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947,
- (a) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

"(3A) No employer of an industrial establishment shall convert the posts of the permanent workmen existing in his industrial establishment on the date of

commencement of the Bihar Industrial Employment (Standing Orders) (Amendment) Rules, 2020, as fixed term employment thereafter."

(b) (i) in Appendix-A,-

(A) in paragraph 2,-in sub-paragraph (a), after item (6), the following item shall be inserted, namely:-

"(6d) fixed term employment; " ;

(B) in Appendix- A,-

(i) after paragraph 2(g) the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

(h) A "fixed term employment workman" is a workman who has been engaged on the basis of a written contract of employment for a fixed period:

Provided that-

(a) his hours of work, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman: and

(b) he shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even if his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute';;

3. In paragraph 13, for sub-paragraph (1) & (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

(13) Termination of Employment- Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947):-

(i) no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman whether monthly rated, weekly rated or piece rated and probationers or badli workmen; and

(ii) no workman employed on fixed term employment basis as a result of non-renewal of contract or employment or on the expiry of such contract period without it being renewed, shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof, if his services are terminated:

Provided that the services of a temporary workman shall not be terminated as a punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges of misconduct alleged against him in the matter prescribed in paragraph 14.";

[File No-1/SO-1246/2018-1257/ L&R]

By the order of the Governor of Bihar,

Sd/-Illegible

Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 314-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>